



न्यायालयः - माननीय राजस्व मंडल महोदय ग्रामियर प्र० प्र० कम्फ शेल

निगरानी - ६/५३/२०१८/विडिशा/अन्य

प्रकरण नम्बरः - १२०१८-१६

सत्तारखां पुत्र जवारखां जाति पुसलमान

पूर्ण वर्षी बवसाय दुकान पक्कान० २४

वांसकुली विद्याम० प्र० : निगरानी :

व ना न

१- श्रीमति उमाक्षी तोमर विद्या पद्मवीरि

जाति तोमर पुत्री वल्देवसिंह नियासी

बांसकुली विद्या हाल नियास इन्दौर नांका

जैन साल्य की होटल के पीछे सी होर तहसील

घ जिलासी होर मं प्र० ---- :

२- मुख्य नगरपालिका विधारी नगरपालिका

परिषाद विद्या जिलाविद्याम० प्र०

: जापेक्षण :

विधास्थ न्यायालय जर क्लेक्टर विद्या के प्र०

१७वी १२१। १७-३ सत्तारखां वनाम उमाक्षी वादि

में पारित वाक्ष दि० ०५-०६-२०१८ के विरुद्ध

निगरानी (अर्जनभारा ३३०३३) नगरपालिका अधिकारी-१६।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार है :-

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने

वज्र छिशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट

नगरपालिका विद्या व्दारावाद्यस्त के सम्बन्ध में जापेक्षक का जो

२५, हरि निवास दुर्गा चौक
तलैया, भोपाल

नामान्तरण प्र० क्र० ४५०७९६४६६ में वाक्ष दि० २२-३-२०००

: शेष पृष्ठ दो पर: -----

A. S. S.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

(22)-2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6153/2018/विदिशा/अन्य

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
S-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(3)</p>	



प्रशासकीय सदस्य